भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 264

जिसका उत्तर बुधवार, 3 फरवरी, 2021 को दिया जाना है

मध्यस्थता कानून

264. श्री राजा अमरेश्वर नाईक :
डॉ सुकान्त मजूमदार :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्री विनोद कुमार सोनकर :
श्री भोला सिंह :
श्री निशीथ प्रामाणिक :
डॉ जयंत कुमार राय :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार व्यापार को सुगम बनाने में भारत की रैंकिंग में सुधार करने के एक भाग के रूप में मध्यस्थता कानून में संशोधन करने के लिए मध्यस्थता और सुलह अध्यादेश, 2020 लाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या माध्यस्थम् और सुलह अध्यादेश, 2020 का उद्देश्य मध्यस्थता प्रक्रिया की स्वायत्तता और न्यायालयों द्वारा निगरानी के बीच पुनः समन्वय स्थापित करना है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण महामारी के कारण न्यायालयों द्वारा नए मानदंड अपनाने और वर्चुअल कार्य करने के लिए क्या अन्य कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2020 माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम 1996 की आठवीं अनुसूची से विलोपित किया गया है, जो मध्यस्थ के प्रत्यायन के लिए अर्हताएं, अनुभव और संन्नियम अभिकथित करता है । इस

संशोधन के माध्यम से प्रमुख मध्यस्थों को, भारतीय माध्यस्थम् परिषद द्वारा विरचित किए जाने वाले विनियमों के अध्याधीन भारत में माध्यस्थम् संचालन में सुविधा होगी । यह न केवल संविदा प्रशासन के प्रवर्तन को मजबूत करेगा बल्कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों निवेशक को समयबद्ध रीति में अपने विवादों को हल करने के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में भारत को चुनने के लिए आर्कषित भी करेगा ।

(ग) और (घ) : माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2020 ने अन्य बातों के साथ साथ माध्यस्थम् पंचाट से संबंधित अधिनियम की धारा 36 को संशोधित किया हैं । यह उपबंध माध्यस्थम् प्रक्रियाएं जो निष्कर्षित हुई और पंचाट हुई हैं, के बाद ही केवल प्रदर्शित होता है । इस प्रकार, धारा 36 किसी भी तरह से अपने निष्कर्ष तक माध्यस्थम् कारवाई के संचालन के साथ अतिछारित होती है । धारा 36 में संशोधन निश्चित संविदा या माध्यस्थम् पंचाट में भ्रष्ट प्रथा के मूद्दे को इंगीत करने के लिए कार्यान्वित किया गया है और केवल प्रवर्तन पर बिना शर्त रोक का उपबंध करता है यदि न्यायालय प्रथम दृष्ट्या संतुष्ट है कि अंतर्निहित माध्यस्थम् करार या संविदा या माध्यस्थम् पंचाट करना कपट या भ्रष्टाचार द्वारा उत्प्रेरित है ।

(ङ) : वीडियो कान्फ्रेसिंग कोविड लाकडाउन अवधि के दौरान न्यायालयों के मुख्य आधार के रूप में प्रादुर्भाव हुआ हैं, क्योंकि सामूहिक पद्धति में शारीरिक सुनवाईयां तथा सामान्य न्यायालय कार्यवाहियां संभव नहीं थी ।

वीडियो कान्फ्रेसिंग (वीसी) के संचालन में एकरूपता और मानकीकरण लाने के लिए भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 6 अप्रैल, 2020 को एक व्यापक आदेश पारित किया था जिसमें (वीसी) माध्यम से की गई न्यायालय की सुनवाईयों को विधिक पुनीतता और विधिमान्यता दी और इसके अतिरिक्त वीसी नियम 5 न्यायाधीश समिति द्वारा विरचित किए गए थे जो स्थानीय संदर्भ के पश्चात् ग्रहण करने के लिए सभी उच्च न्यायालयों को परिचालित किए गए थे । अब तक वीसी नियम 12 उच्च न्यायालयों द्वारा ग्रहण किए जा चुके हैं ।

जब से कोवीड लाकडाउन शुरू हुआ, केवल वीडियो कान्फ्रेसिंग का उपयोग करते हुए 31.12.2020 तक जिला न्यायालयों ने 45,73,159 मामलों की सुनवाई की जब कि उच्च न्यायालयों ने 20,60,318 मामलों की (कुल 66,33 लाख) सुनवाई की । उच्चतम न्यायालय ने लाकडाउन अवधि के दौरान लगभग 32,000 मामलों की

सुनवाई की ।

विधिक सेवा प्राधिकरणनों ने नए सामान्य तथा वर्च्युअल प्लेटफार्म के लिए लोक अदालत को रचनात्मक रूप से अंगीकृत करने के लिए भी समुचित रूप से जवाब दिया है । ई - लोक अदालत विवादों का निपटान करने की एक प्रक्रिया हैं, प्रौद्योगिकी और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र का संयोजन करते हुए ("एडीआर") जो तेज, पारदर्शी और सुलभ विकल्प प्रदान करती हैं ।

तब से ई- लोक अदालते 23 से अधिक राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों में का आयोजित की गई हैं जिसमें कुल 8 लाख मामलों में से लगभग 4.07 लाख मामलों का निपटान किया गया हैं ।

****